रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-72 REGISTERED NO. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 140] नई दिल्ली, शनिवार, मई 5, 1979/वैशाख 15, 1901
No. 140] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 5, 1979/VAISAKHA 15, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No.....
Date.....
GOVT. OF INDIA

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 1979

सा. का. नि. 286(अ).—केन्द्रीय सरकार, अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आय-कर वाला) अधिनियम, 1974 (1974 का 38) की धारा 19 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनिवार्य निक्षेप (आय-कर वाला) स्कीम, 1974 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इस स्कीम का नाम अनिवार्य निक्षेप (आय-कर वाला) (संशोधन) स्कीम, 1979 है ।

2. अनिवार्य निक्षेप (आय-कर दाता) स्कीम, 1974 के पैरा 6 के स्थान पर निम्न-लिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6. लेखा का अंतरण.—निक्षेपकर्त्ता अपने लेखे को पैरा 2 के उपपैरा (1) के खंड (ङ.) में निर्दिष्ट किसी निक्षेप कार्यालय से,—

(क) जहां ऐसा लेखा भारतीय रिजर्व बैंक के किसी कार्यालय में खोला गया है वहां उक्त खंड (ङ) के उपखंड (1), उपखंड (2) या उपखंड (3) में निर्दिष्ट बैंक के किसी कार्यालय अथवा शाखा को, (ख) जहां ऐसा लेखा उक्त खंड (ङ.) के उपखंड (2) या उपखंड (3) में निर्दिष्ट बैंक की किसी शाखा या कार्यालय में खोला गया है, वहां उसी बैंक के किसी कार्यालय या शाखा को अन्तरण के लिए आवेदन कर सकता है।"

[सं. 2801/फा. सं. 144(1)/79-टी पी एल]

आई. पी. गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 1979

G.S.R. 286(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 19 of the Compulsory Deposit Scheme (Income-tax Payers) Act, 1974 (38 of 1974), the Central Government hereby makes the following scheme to amend the Compulsory Deposit (Income-tax Payers) Scheme, 1974, namely :—

1. This scheme may be called the Compulsory Deposit (Income-tax Payers) (Amendment) Scheme, 1979.

2. For paragraph 6 of the Compulsory Deposit (Income-tax Payers) Scheme, 1974, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"6. Transfer of accounts.—A depositor may apply for the transfer of his account from any deposit office referred to in clause (e) of sub-paragraph (1) of paragraph 2,—

(a) where the account is opened in an office of the Reserve Bank of India, to any office or branch of any bank referred to in sub-clause (i), sub-clause (ii) or sub-clause (iii) of the said clause (e);

(b) where the account is opened in any branch or office of any bank referred to in sub-clause (ii) or sub-clause (iii) of the said clause (e), to any office or branch of the same bank."

[No. 2801/F. No. 144(1)/79-TPL]

I. P. GUPTA, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979